16/7

LT-1426/72

PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) AS G.S.R. NO. 1580 DATED 23.10.1971.

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF MINES
(KHAN VIBHAG)
***

New Delhi, the 7th Sep.,1971.

NOTIFICATION

GSR. 1580

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession(Second Amendment) Rules, 1971.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,-

   (i) for rule 16, the following rule shall be substituted, namely :-

"16. Report of information obtained by licensee -

The licensee shall submit confidentially to the State Government a quarterly report of work done by him stating the number of persons engaged and disclosing the geological and /other valuable data

/Geologi-physical and

......../-

collected by him during the period and also submit to the State Government within three months of the expiry of the licence or abandonment of the operations or determination of licence, which-ever is earlier, a full report of the work done by him and all other relevant informations acquired by him in the course of prospecting operations in the area convered by the licence.";

∠in (ii) in Schedule I, in Form "F",∠Part II, after clause 17, the following clause shall be inserted, namely :-

Report of Information obtained by Licensee. ∠the

"(17 A) The licensee shall submit confidentially to the State Government a quarterly report of work done by him stating the number of persons enganged and disclosing geological and geophysical and other valuable data collected by him during the period and also submit to the State Government within three months of the expiry of the licence or abondonment of the operations or determination of licence, whichever is earlier, a full report of the work done by him and all other relevant informations acquired by him and all other relevant informations acquired by him in the course of prospecting operations in the area comered by the licence."

No.1(9)/71-MVI

Sd/- A. Sethumadhavan.
Under Secretary to the Government of India.

16/3

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में स० का० नि० संख्या 1580 तारीख 23.10.71 के रूप में प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1971।

अधिसूचना

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1- (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- खनिज रियायत नियम, 1960 में :-

(1) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"16 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिप्राप्त जानकारी की रिपोर्ट-अनुज्ञप्तिधारी गोपनीय रूप से राज्य सरकार को अपने द्वारा किए गए कार्य के बारे में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें वह काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या कथित करेगा और उस अवधि के दौरान अपने द्वारा संकलित भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय तथा अन्य मूल्यवान आधार सामग्री को प्रकट करेगा और राज्य सरकार को अनुज्ञप्ति की समाप्ति या प्रचालन का परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, जो भी पहले हो, के तीन मास के भीतर अपने द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की तथा अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट क्षेत्र में पूर्वेक्षण प्रचालन के क्रम

में अपने द्वारा अर्जित सुसंगत सभी अन्य जानकारी की संपूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा ; "

(ii) अनुसूची 1 में, प्ररूप "च" में, भाग 2 में, खण्ड 17 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिप्राप्त जानकारी की रिपोर्ट

" (17 क) अनुज्ञप्तिधारी गोपनीय रूप से राज्य सरकार को अपने द्वारा किए गए कार्य के बारे में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें वह काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या कथित करेगा और उस अवधि के दौरान अपने द्वारा संकलित भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय तथा अन्य मूल्यवान आधार सामग्री को प्रकट करेगा और राज्य सरकार को अनुज्ञप्ति की समाप्ति या प्रचालन का परित्याग या अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, जो भी पहले हो, के तीन मास के भीतर अपने द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की तथा अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट क्षेत्र में पूर्वेक्षण प्रचालन के क्रम में अपने द्वारा अर्जित सुसंगत सभी अन्य जानकारी की संपूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा । "

सं० 1(9)/71-खान-6

(ए० सेतुमाधवन)
अवर सचिव, भारत सरकार

महाप्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड,
नई दिल्ली ।